मुख्यमंत्री सचिवालय,
4, देशरत्न मार्ग, पटना।

(93)

सूचना

बिहार राज्य के निर्धन–सह–मेधावी छात्र/छात्राओं को अभियंत्रण/मेडिकल/विधि एवं प्रबंधन आदि विषयों के डिग्री एवं उससे उच्च स्तर के पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार से निर्धारित सीमा तक आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है, जिसके लिए सुयोग्य अभ्यर्थियों द्वारा निधार्रित समय के अंतर्गत मुख्यमंत्री सचिवालय, 4 , देशरत्न मार्ग, पटना में आवेदन दिए जाते हैं।

संबंधित अभ्यर्थियों के हित में आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन जमा करने हेतु अद्यतन निर्धारित मापदण्डों से अवगत कराने के उद्देश्य से यह सूचना प्रकाशित की जा रही है।

निर्धारित मापदंड एवं दिशा–निर्देश (दिनांक 01.10.2014 से प्रभावी)

1. आवेदक को बिहार राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. अखिल भारतीय/राज्य स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में मेरिट से उत्तीर्ण एवं किसी सरकारी अथवा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित छात्र/छात्राओं को ही नामांकन शुल्क के रूप में देय राशि का भुगतान संबंधित शिक्षण संस्थान को किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000/–रू0 तक होगी।
3. यह आर्थिक सहायता वैसे अभ्यर्थियों को ही देय होगी, जिनकी सभी स्रोतों से पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रूपये तक हो।
4. आवेदकों को अपने आवेदन पत्र के साथ चयन पत्र, मैट्रिक/इंटर का अंक पत्र, नामांकन शुल्क जमा पर्ची एवं शुल्क का मदवार प्राक्कलन (Fee Structure with Breakup) की छायाप्रतियाँ, जो स्व–अभिप्रमाणित हो तथा अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन पारिवारिक वार्षिक आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति (जिसमें आवेदक का आवासीय पता स्पष्टतः अंकित हो), संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि नामांकन वर्ष के आगामी वर्ष के 30 जून तक होगी।
6. छात्र/छात्रा को मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार से प्रथम वर्ष में नामांकन के लिए ही मात्र एक बार आर्थिक सहायता देय होगी।
7. किसी अन्य स्रोत से आर्थिक सहायता/छात्रवृति पाने वाले अभ्यर्थी को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता देय नहीं होगी।

—

(हस्ताक्षर)
अपर सचिव
मुख्यमंत्री सचिवालय।
o/c